

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

**::सूचना::**

उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) एवं साक्षात्कार दिनांक-28.02.2019 को मुख्य सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित सभागार (कॉन्फ्रेंस हॉल), में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा :-

प्रथम पाली समय -10:00 बजे पूर्वाह्न		द्वितीय पाली समय -02:00 बजे अपराह्न से	
उप समिति-1		उप समिति-1	
एथलेटिक्स-5	1. सुगंधा कुमारी 2. प्रेम कुंज 3. विकास कुमार सिंह 4. मोनूकान्त श्री 5. विजय कुमार	बास्केटबॉल-4	1. नीरज कुमार 2. विजय पटेल 3. दीपक कुमार 4. योगेश कुमार
साईकलिंग-4	1. राजू कुमार 2. केशव कुमार 3. राजीव रंजन 4. रजनीश कुमार	टेबल टेनिस-4	1. सुपर्णा जोशी 2. प्रिया कुमारी 3. निशांत चन्द्रा 4. पियूष दिलीप गाँधी
ट्राईथलॉन-1	1. लाल मणि		
उप समिति- 2		उप समिति- 2	
फेंसिंग-5	1. विकास शर्मा 2. अम्बिका कुमारी 3. दीपक कुमार 4. रवि कुमार 5. प्रणव राज	आर्चरी-2	1. अंजलि कुमारी 2. अन्नू तिवारी
स्कवैश-5	1. सतीश कुमार सिंह 2. श्याम कुमार झा 3. चांदनी कुमारी 4. विपुल कुमार 5. सत्री मेहता	रग्बी-5	1. संजीव कुमार 2. मुकेश कुमार सिंह 3. अंतु कुमारी 4. वंदना कुमारी 5. मनीषा कुमारी
उप समिति- 3		उप समिति- 3	
वालीबॉल-5	1. मृणाल किशोर 2. मनीषा रानी 3. प्राची कपूर 4. कृष्ण कुमार 5. ममता कुमारी	हॉकी-1	1. भीम कुमार
वुशु-5	1. कुमारी निकिता 2. कुमारी निशा 3. अनूप कुमार सिन्हा 4. चन्दन कुमार 5. संजीव कुमार यादव	बैडमिंटन-1	1. आकांक्षा कुमारी
		शूटिंग-1	1. अमृता सिन्हा लाल
		हैंडबॉल-4	1. अन्नू कुमारी 2. हरिओम कुमार 3. अभिषेक कुमार सिन्हा 4. राधा कुमारी

31/2/19

**MD. MURTAZA**  
**SECTION OFFICER**  
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
GOVT. OF BIHAR, PATNA

कृ०पृ०उ०

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छायाप्रतियों की दो-दो स्व अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे :-

- (1) खेल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (जिनके आधार पर चयन किया गया है)
- (2) मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
- (3) इंटरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (4) अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
- (5) अगर नियोजित हों तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (6) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।
- (7) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।
- (8) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।
- (9) पासपोर्ट साईज का 02 (दो) फोटो।
- (10) नोटरी दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है। उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- 9/नि0-01-03/2014 (खण्ड), सा0प्र0-2673/पटना-15, दिनांक-27-2-19

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।